		में जारी हुए
27.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय मामचारी पर पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित वकील अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि नामान्तकरण संख्या 215 दिनांक 19/7/2004 ग्राम कल्याणी तहसील करौली दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम कृष्णा के स्थान पर लाली बिना किसी आधार के गलत तौर पर दर्ज किया गया है। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक व सही नाम कृष्णा है। गिरदावर हल्का व ग्राम पंचायत द्वारा भी अपीलान्ट के नाम बाबत कोई जांच नही की गयी है और ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को कोई सुनवाई का नोटिस व अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट का सही नाम कृष्णा है। अपीलान्ट के समस्त कागजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र आदि मे कृष्णा नाम ही दर्ज है। अपीलान्ट अपना नाम नामान्तकरण में लाली के स्थान पर कृष्णा दुरस्त कराने की अधिकारी है। अपीलान्ट को नामान्तकरण की जानकारी दि० 27/5/19 को पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी लेने जाने पर राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का नाम लाली दर्ज होने की जानकारी होने पर दि० 7/6/2019 को नकल नामान्तकरण प्राप्त होने पर हुयी है। दिनांक 19/7/2004 से दि० 27/5/19 तक के समय को माफ करने को धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त मे अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने [illegible] मे अपील मे दर्ज तथ्यो [illegible] नामान्तकरण सं० 215 दि० 19/7/2004 मे अपीलान्ट का नाम लाली के स्थान पर कृष्णा दुरस्त करने का निवेदन किया है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:49:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस वकील अपीलान्ट का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से अपीलान्ट का सही नाम लाली के स्थान पर कृष्णा होना प्रकट होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।

नामान्तरकरण सं. 215 दिनांक 19.7.2004 ग्राम कल्याणी तह० करौली मे अपीलान्ट का नाम लाली के स्थान पर कृष्णा दुरस्त कराने की अधिकारी है। तहसीलदार करौली को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त नामान्तरकरण मे अपीलान्ट का नाम लाली के स्थान पर कृष्णा संशोधित कर दर्ज करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:49:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner